श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): यदि वे भी ऐसे ही करते हैं तो श्री आचार्य और एक नए संसद सदस्य में क्या अंतर है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे? आप भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं। कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बोलें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, मैंने आपको पर्याप्त अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ममता जी ने और अन्य महिला सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। एक महिला सदस्य ने ठीक कहा कि महिला अबला नहीं है, सबला है और अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ है। जहां तक आरक्षण का सवाल है, सभी सदस्य जानते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: बिल ले आओ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: बिल लाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग सुनने की कृपा करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हुई, उनमें उसे पास नहीं किया जा सका। अब प्रयास यह है कि एक सर्वसम्मति बने और इसके लिए एक नई घटना हुई है। चुनाव कमीशन ने एक फार्मूला दिया है और उस पर सब राजनीतिक दल विचार कर लें। अभी दासमुंशी जी कह रहे थे कि किसी भी रूप में आये, उसका कुछ भी आकार हो, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि एकराय बन सकती है अगर उस सुझाव को, फार्मूले को आधार बनाया जाए। और थोड़ा संशोधन करके सर्वसम्मति से यह विधेयक पास किया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश कीजिए सर्वसम्मति के लिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने हमें आश्वस्त किया था कि आप सभी दलों से बातचीत शुरू करेंगे तथा एक फार्मूला लाएंगे। आपने अपना फार्मूला कार्यान्वित नहीं किया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: चुनाव आयोग के फार्मूले से समाजवादी पार्टी सहमत है और हम उसके लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): यह मामला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के समय उठाया गया था। उन्होंने एक सुझाव दिया था। उस समय मुख्य विपक्षी दल को इस पर कुछ आपत्तियां थीं। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसी रूप में पारित होना चाहिए। उस पर आम सहमति नहीं बनी। इसी पर प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया। आपके आज के वक्तव्य के अनुसार आप कोई भी फार्मूला स्वीकार कर लेने के इच्छुक हैं। यदि ऐसा है तो संभावना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं अपनी बात ठीक करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी ने एक बैठक में इस बारे में पहल की और कहा कि वे सभी दलों से परामर्श करके अपना एक सर्वसम्मत फार्मूला निकालेंगे। हम जाना चाहते हैं कि उसका क्या हुआ। यदि प्रधान मंत्री जी की पहल के परिणामस्वरूप कोई सर्वसम्मति बनी है तो उसकी वस्तुस्थिति क्या है? यदि कोई बदलाव हुआ है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आप जिस किसी भी स्वरूप में उसे लाएं हम उसका समर्थन करेंगे लेकिन कुछ आपत्तियां हो सकती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में हमारी राय भिन्न-भिन्न हो सकती है। हम इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पक्ष क्यों बनाएं? प्रधान मंत्री जी को इस संबंध में पहल करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले पर फिर से विचार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए तैयार हूं और मुझे विश्वास है कि सर्वदलीय बैठक में एक सर्वसम्मत हल निकलेगा जिसके आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा सकेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए समय मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: हम बी.ए.सी. में फिक्स करेंगे।